यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल** के माह **02/2020** से माह **02/2021** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **07.03.2021** से **15.03.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक **20.02.2020** से **27.02.2020** तक श्री राजबहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2016** से **01/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **02/2020** से **02/2021** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा 06 विकास खण्डों यथा:- द्वारीखाल, दुगड्डा, जयहरीखाल, रिखनीखाल, यमकेश्वर एवं नैनीडांडा हेतु पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य तथा पेयजल योजनाओं से संबन्धित निक्षेप कार्य सम्पादित किए जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि `लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	0.000	604.723	697.411	680.561	16.850	2209.178	2265.507	548.394
2019-20	16.850	548.394	687.155	695.155	8.850	2736.937	2301.706	983.625
2020-21 (upto 02/2021)	8.850	983.625	594.586	603.436	0.000	1439.154	1556.475	866.304

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2021-21 (Upto 02/2021)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NRDWP/ Jal Jeevan Mission	528.589	42.789	281.152	241.121	37.476	67.677	0.000	282.448	282.448

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"स"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक→मुख्य अभियन्ता→ अधीक्षण अभियन्ता→ अधिशासी अभियन्ता**।

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **01/2021** (व्यय) तथा **11/2020** (आय) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर-1 : रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को `3,27,717/- के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/VII-1/2018/80-ख/18 दिनांकित 14.02.2018 के द्वारा उपखनिजों की निकासी हेतु निम्नानुसार संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क निर्धारित किए गए हैं:-

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क – रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान – रॉयल्टी का 25 प्रतिशत
(iv) क्षतिपूर्ति – रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार, (पौड़ी गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2018-19 से 02/2021 के दौरान संलग्नक के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से `19,27,745/- की रॉयल्टी की कटौती करके चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराई गई थी परन्तु शासनादेशानुसार उपरोक्त रॉयल्टी के सापेक्ष 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क `38,557/- तथा 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति `2,89,160/-; इस प्रकार कुल `3,27,717/- की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी।

इकाई द्वारा संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को कुल `3,27,717/- के राजस्व की हानि हुई थी जोकि इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती जा रही लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिवश उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की जा सकी थीं। इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदारों के आगामी बिलों से स्टाम्प शुल्क तथा क्षतिपूर्ति की धनराशि `3,27,717/- की वसूली कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि भुगतान के समय ही उपरोक्त कटौतियाँ न करने के कारण शासन को समय पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जिसके कारण इकाई को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

अतः इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती गई लापरवाही के कारण `3,27,717/- के राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-2: भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण कार्य का अपूर्ण रहना तथा ठेकेदार पर रुपये 26.04 लाख की क्षतिपूर्ति अधिरोपित न किया जाना।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-VI के नियम-378 के अनुसार "**No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers."**

वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारीखाल/ जयहरीखाल दुगड्डा की भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु रुपये 2289.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा अक्तूबर 2006 में इस निर्देश के साथ प्रदान की गयी थी कि इस योजना से लैन्सडाउन छावनी क्षेत्र एवं जहरीखाल को भी जोड़ा जाये। उक्त योजना की रुपये 6486.59 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा माह-05/2017 में प्रदान की गयी थी जिसमे से रुपये 4194.09 लाख उत्तराखण्ड शासन द्वारा तथा रुपये 2292.50 लाख छावनी परिषद द्वारा वहन किया जाना था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कोटद्वार की लेखापरीक्षा (माह-02/2021) में पाया गया था कि उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित समस्त बस्तियों के गुरुत्वमेन, जलाशय एवं वितरण प्रणाली के कार्यों के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार "मैसर्स कश्मीरीलाल कंसट्रकशन प्राइवेट लिमिटेड, अल्मोड़ा" के साथ रुपये 1796.04 लाख लागत का अनुबंध संख्या – 01/SE/2018-19 गठित किया गया था जिसके अंतर्गत समस्त कार्य दिनाँक-31.01.2020 तक पूर्ण किए जाने थे। उपरोक्त अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान अनुबंध के Contract Data[1] के अनुसार किया जाना था।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-VI के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था तथा ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण न किए जाने की स्थिति में अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि भूमि की अनुपलब्धत्ता के कारण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि तक योजना के अंतर्गत 'चार नग Type-I' आवासों का निर्माण नहीं किया जा सका था। यह भी पाया गया था कि निर्धारित समय के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा अनुबंधित कार्यों के सापेक्ष केवल 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी परंतु फिर भी विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत रुपये 26.04 लाख[2] की क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि आई॰पी॰एस॰ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पर चयनित स्थल पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किए जाने के कारण भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी

[1] Contract Data के अनुसार, सम्पूर्ण कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की दर प्रति सप्ताह अनुबंधित लागत की 0.25 प्रतिशत थी।

[2] 179604176.00 x 10 प्रतिशत (शेष कार्य) x 0.25 प्रतिशत/ सप्ताह = 44901.044
क्षतिपूर्ति = 44901.044 x 58 सप्ताह = 2604260.552 या 26.04 लाख

थी अत: Type-I स्टाफ आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। भूमि की अनुपलब्धत्ता के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के संबंध में विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। ठेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण न किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया था कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दिनाँक – 30.10.2020 तक समयवृद्धि का आवेदन किया गया था तथा वर्तमान तक समयवृद्धि प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण कोई क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की गयी थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दिनाँक – 30.10.2020 तक समयवृद्धि का आवेदन किए जाने के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा उच्चाधिकारियों से समयवृद्धि की स्वीकृति प्राप्त किए जाने तक शाखा द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

अत: भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण कार्य के अपूर्ण रहने तथा ठेकेदार पर रुपये 26.04 लाख की क्षतिपूर्ति अधिरोपित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- II(ब)

प्रस्तर: 3 – अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिको को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹ 2,73,616 का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा ,उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल) में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मको के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिको के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिको को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिको को प्रति माह 4% अंशदान कम मिल रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल 09 कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखा परीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिको को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (12/2020) **कुल धनराशि 2,73,616 /- का कम भुगतान किया गया ।** (09 कार्मिको के कम भुगतान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 1)

उक्त सभी कार्मिको के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम भुगतान की गई **धनराशि 2,73,616/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
54/2004-05	01	01 एवं 02	शून्य
87/2005-06	शून्य	01	शून्य
69/2006-07	02	01	शून्य
10/2010-11	01	01,02,03,04,05,06,07 एवं 08	शून्य
99/2014-15	01,02	01 एवं 02	शून्य
63/2016-17	शून्य	01,02,03 एवं 04	01
322/2019-20	शून्य	01 एवं 02	01, 02, 03 एवं 04

निर्माण शाखा द्वितीय – उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कोटद्वार के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण जिसका इस शाखा में वर्ष 2017 में विलय हुआ था।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
58/2005-06	शून्य	04	शून्य
69/2016-17	शून्य	01, 02 एवं 03	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्व में ही उच्चाधिकारियों की संस्तुति के उपरांत महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रतिलिपि दोबारा से लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराई गई है जिसे निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुभाग में सौंप दी गई है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. सरिता गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता	20.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/22 दिनांकित 24.03.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)